



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072020-220462  
CG-DL-E-10072020-220462

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2020/आषाढ़ 19, 1942

No. 335]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2020/ASADHA 19, 1942

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैव प्रौद्योगिकी विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2020

**सा.का.नि. 438(अ).**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, (समूह 'क' वैज्ञानिक पदों) भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैवप्रौद्योगिकी विभाग, (समूह 'क' वैज्ञानिक पद) संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- जैवप्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'क' वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 2018 में (जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 4, उप-नियम (2) (पृष्ठ 2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

(क) उप-नियम (1) में उल्लिखित वैज्ञानिक 'सी' के पद के लिए अभ्यर्थी के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के बाद दूसरी अनुसूची के भाग-II में यथानिर्दिष्ट औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में अनुभव होना आवश्यक है।

- (ख) उप-नियम (1) में उल्लिखित वैज्ञानिक 'एच' के पद के लिए अभ्यर्थी के पास दूसरी अनुसूची के भाग-II में यथानिर्दिष्ट औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थानों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में अनुभव होना आवश्यक है।
3. दूसरी अनुसूची में भाग- I के
- (क) उपखंड (ख) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: —
- "(ख) वैज्ञानिक 'एच' के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीवन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी (पीएच.डी) या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमवीएससी) या जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक)।"
4. दूसरी अनुसूची में भाग- II में
- (क) दी गई सारणी में स्तंभ (3) के स्थान पर, केवल वैज्ञानिक 'एच' के लिए, अपेक्षित अनुभव वाले शीर्षक को रखा जाएगा जाएगा, अर्थात्
- "जैव प्रौद्योगिकी/जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव"

[फा.सं. ए-12011/07/2017- स्था.]

चंद्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या जीएसआर1174 (ई) तारीख 4 दिसंबर, 2018 को प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2020

**G.S.R. 438(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Biotechnology, (Group 'A' Scientific Posts) Recruitment Rules, 2018, namely:—

- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Department of Biotechnology, (Group 'A' Scientific Posts) Amendment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Department of Biotechnology, (Group 'A' Scientific Posts) Recruitment Rules, 2018 (herein after referred to as the said rules) for rule 4, for sub-rule (2) (Page 14), the following sub rule shall be substituted, namely.—
  - The candidate for the post of Scientist 'C' as referred to in sub-rule (1) shall have the experience in research and development in industrial or academic institutions or an organisation of science and technology after obtaining the minimum educational qualifications as specified in Part-II of the Second Schedule.
  - The candidate for the post of Scientist 'H' as referred to in sub-rule (1) shall have the experience in research and development in industrial or academic institutions or an organisation of science and technology as specified in Part-II of the Second Schedule.
- In Second Schedule in Part-I**
  - for (B) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—**  
“(B) For Scientist 'H' : Doctor of Philosophy (Ph.D.) in the area of Life Sciences or Doctor of Medicine (M.D.) or Master of Veterinary Science (M.V.Sc.) or Master of Technology (M.Tech.) in the field of Biotechnology from a recognised University or Institute”.

**4. In Second Schedule in Part-II**

**(a) For Column (3) in given table, for Scientist ‘H’ only, the required experience heading shall be substituted, namely**

Minimum twenty years, Research and Development experience in the field of Biotechnology/Life Sciences”

[F.No. A-12011/07/2017-Estt.]

CHANDRA PRAKASH GOYAL, Jt.Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.1174(E) dated 4<sup>th</sup> December, 2018.